

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 358 सन 2022

अनवान :-

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 40/38 की कुल 8.4090हैक् मेंसे 841/42045 हिस्सा , खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700हैक् में से 1/50 हिस्सा , व खाता संख्या 93/93 की कुल 0.8720हैक् व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 536/536 की कुल 1.8130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवारिक समझौता में वादीया की शादी के समय वाद भूमि वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज नहीं है जिसे वादीया अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके नाम बतौर खातेदार दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का भाई है ने वादीया की शादी के समय परिवारिक समझौता में वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वादी भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी आय से वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है इसलिये वाद भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 40/38 की कुल 8.4090हैक् मेंसे 841/42045 हिस्सा , खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700हैक् में से 1/50 हिस्सा , व खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 93/93 की कुल 0.8720हैक् व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 536/536 की कुल 1.8130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवारिक समझौता में वादीया की शादी के समय वाद भूमि वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज नहीं है जिसे वादीया अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 40/38 की कुल 8.4090हैक् में से 841/42045 हिस्सा , खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700हैक् में से 1/50 हिस्सा , व खाता संख्या 93/93 की कुल 0.8720हैक् व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 536/536 की कुल 1.8130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादीया का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीया का भाई है जिसने वादीया की शादी के समय वाद भूमि को परिवारिक समझौता में वादीया के भरण पोषण के लिये दि गई थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि को वादीया के पक्ष में त्याग कर दिया था जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी ने वाद भूमि अपनी बहन के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 48/38 की कुल 8.4090हैक् में से 841/42045हिस्सा एव खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700हैक् में से 1/50 हिस्सा भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजुन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 93/93 की कुल 0.8720हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है के वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 536/536 की कुल 1.8130हैक् में से खसरा संख्या 277/15 की 0.5060हैक् भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 358 सन 2022 निर्णय दिनांक-9/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 48/38 की कुल 8.4090हैक् में से 841/42045हिस्सा एव खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700हैक् में से 1/50 हिस्सा भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 93/93 की कुल 0.8720हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है के वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 536/536 की कुल 1.8130हैक् में से खसरा संख्या 277/15 की 0.5060हैक् भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर